

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 04.07.2011 की कार्यवाही का विवरण।

कार्यालय नगर परिषद उदयपुर (राज)

बैठक संख्या:- 8

दिनांक:- 4.7.2011

वार :- सोमवार

समय:- दोपहर:- 3.00 बजे

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक की कार्यवाही का विवरण।

आज दिनांक 04.07. 2011 दोपहर 3.00 बजे समिति की बैठक समिति अध्यक्ष श्रीमति रजनी डांगी की अध्यक्षता में आरंभ हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:-

1. श्री महेन्द्र सिंह शेखावत	उपसभापति एवं सदस्य	9. श्री चतर सिंह जी	सहायक अभियंता
2. श्री मुहम्मद खलील	सदस्य	10. श्री करीमुद्दीन	सर्वेयर
3. श्रीमति अर्चना शर्मा	सदस्य	11. श्री सिराजुद्दीन	सर्वेयर
4. श्री मुस्लिम अली बंदुक वाला	सदस्य	12. श्री फिरोज खान	कृषि लिपिक
5. श्री फूल सिंह मीणा	सदस्य		
6. श्री राजेश जैन	सदस्य		
7. श्री बी.एम. असावा	आयुक्त एवं सदस्य सचिव		
8. श्री राजेश वर्मा	उपनगर नियोजक		
9. श्री सर्मथ बाबेल	सहायक अभियंता		

सर्वप्रथम समिति अध्यक्ष श्रीमती रजनी डांगी द्वारा सहवृत्त पार्षद श्री राजेश जैन को गुलदस्ता भेट कर स्वागत किया एवं सभी सदस्यों का भी स्वागत किया ओर दिनांक 13.5.11 की बैठक संख्या 7 की पुष्टि की गई। इसके पश्चात् बैठक की कार्यवाही एजेण्डा अनुसार आरंभ की गई।

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में/नियमन/नामान्तरण /लीज डीड के संबंधी पत्रावलियों पर विचार विमर्श किया व समिति द्वारा बैठक से पूर्व स्थल निरीक्षण किये गये तथा मौके पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया। परिषद के आयुक्त एवं सदस्य सचिव द्वारा नियमन, नामान्तरण, लीज डीड विचाराधिन पत्रावलियों को समिति के समक्ष रख कर विस्तृत जानकारी दी गई। समिति में उपनगर नियोजक व सहायक अभियंता एवं दोनो सर्वेयर उपस्थित थे जिनके साथ समिति के सदस्यों द्वारा भी मौका देखा जाने पर तकनीकी राय से भी अवगत कराया। समिति द्वारा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नलिखित पत्रावलियों पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 04.07.2011 की कार्यवाही का विवरण।

क्रम संख्या	फाईल नं.	प्राथी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
1.	भ.अ/73/10-11 नीम का चौक, अभिन्नदन स्कूल के पास, गारियावास उदयपुर	श्रीमति लता देवी चौधरी पति स्व. पुष्पजीत चौधरी	प्रार्थी द्वारा दिनांक 30.6.10 को भवन निर्माण अनुमति हेतु आवेदन किया। किंतु भूतल + प्रथम तल का मौके पर प्रार्थी द्वारा बिना स्वीकृति के निर्माण किया गया। प्रकरण पुरानी बस्ती का होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की जांच परिषद् अधिवक्ता से करवाई जाने पर दिनांक 28.2.11 को उक्त स्थल पर प्रार्थीनी का स्वामित्व स्पष्ट होने की राय दी गई प्रार्थी द्वारा दिनांक 2.8.10 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर किये गये निर्माण का नियमन कराने की प्रार्थना की गई।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि मौके पर बिना स्वीकृति किये गये भूतल + प्रथम तल आवासीय निर्माण की लागत का 5 प्रतिशत एवं निकासु रचना की शास्ती राशि डी एल सी (बाजार दर) का 20 प्रतिशत की दर से वसूल की जाकर नियमन किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रार्थी से उक्त स्थल बाबत कोई वाद न्यायालय में विचाराधिन हो इस आशय का शपथ पत्र लिया जाये।
2.	भ.अ/136/10-11 120 बी, शिकारवाडी कोलोनी गावर्धन विलास, उदयपुर	श्री भगवत सिंह हरकावत पिता श्री रोशन लाल हरकावत	प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भूतल + प्रथम तल आवासीय निर्माण की स्वीकृति बाबत नक्शें प्रस्तुत किये गये। मौके पर स्वीकृति पूर्व ही भूतल का निर्माण होना पाया गया तथा सेट बेक में भी विचलन किया गया जिस पर भवन निर्माण समिति द्वारा स्वीकृति पूर्व ही मौके पर किये गये निर्माण के सम्बन्ध में अपराधों का शमन एवं समझौता समिति के समक्ष प्रकरण रखा जाकर निर्णय उपरांत भवन निर्माण समिति में रखने का निर्णय लिया गया। प्रार्थी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र पर प्रकरण को अपराधों का शमन एवं समझौता समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर दिनांक 24.2.11 को लिये गये निर्णय के तहत प्रकरण का मौका देखा जाकर आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया था।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त स्थल बाबत कोई उजरदारी प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में भवन रेखा के मध्य किये गये निर्माण की शास्ती राशि लागत की 5 प्रतिशत से एवं यहां के निर्धारित सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती राशि वसूल की जाकर प्रकरण का नियमन किया जाता है। प्रकरण में उपविभाजन शुल्क नियमानुसार लिया जावे।

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 04.07.2011 की कार्यवाही का विवरण।

क्रम संख्या	फाइल नं.	प्राथी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
3.	भ.अ/172/09-10 19, ऊँटों का कारखाना भद्रियानी चौहट्टा, उदयपुर	श्री नीलकंठ जोशी पिता श्री रूप लाल जी जोशी	<p>प्राथी द्वारा प्रस्तावित नक्शों में बनें भूतल + प्रथम तल को गिराकर भूतल + दो मंजिल मय निकासु रचना के निर्माण करना प्रस्तावित किया गया। प्राथी द्वारा मौके पर बिना स्वीकृति के भूतल + प्रथम तल मय दोनों ओर आगे व पीछे निकासु रचना बना हुआ है। प्राथी से उक्त निर्माण बाबत स्पष्टीकरण पुछे जाने पर किये गये निर्माण को नियमन करवाने बाबत प्रार्थना की इस दरमयान दिनांक 11.11.10 को भवन निर्माण समिति द्वारा प्राथी के प्रस्तावित नक्शों अनुसार बने भूतल एवं प्रथम तल को गिराकर उसी स्थान पर पुनः भूतल + प्रथम तल आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति दिये जाने का निर्णय लिया गया। किंतु प्राथी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर किये गये निर्माण को नियमन कराने की प्रार्थना की। जिस पर पुनः भवन निर्माण अनुमति समिति द्वारा दिनांक 20.1.11 को लिये गये निर्णय के तहत पुराने निर्णय दिनांक 11.11.10 को निरस्त करते हुए नियमन का प्रकरण होने से प्रकरण को अपराधों का शमन एवं समझौता समिति के समक्ष रखे जाने का निर्णय लिया गया।</p>	<p>प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि भूतल + प्रथम तल की शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से एवं संलग्न मानचित्र अनुसार जो निकासु निकाल रखा है उसकी शास्ती राशि डी एल सी आवासीय दर की 20 प्रतिशत से वसूल की जाकर प्रकरण का नियमन किये जाने का निर्णय लिया गया।</p>

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 04.07.2011 की कार्यवाही का विवरण।

क्रम संख्या	फाईल नं.	प्राथी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
4.	भ.अ/111/10-11 मेहता जी की बाडी, गुलाब बाग रोड, उदयपुर	मेसर्स बालाजी मल्टी स्टोरी प्रा. लि	<p>प्रार्थी द्वारा दिनांक 10.2.11 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर किये गये निर्माण को नियमन कराने के लिये प्रार्थना की है। उक्त स्थल पर परिषद् द्वारा पूर्व में भ.अ/208/05-06 13.12.2005 के तहत तलघर पार्किंग + भूतल + दो मंजिल आवासीय भवन निर्माण मय सडक की ओर 2'-0" खुले निकासु रचना सहित निर्माण करने की स्वीकृति दी गई थी। जिसमें पश्चिमी ओर 10'-0" तथा उत्तर तरफ 5'-0" सेट बेक दुकानों तक छोड़ते हुए दी गई थी। उत्तर तरफ 10'-0" का रैम्प तलघर में जाने हेतू छोड़ा गया था। इसके पश्चात् इस कार्यालय के भू उपयोग परिवर्तन आदेश क्रमांक भू.उ.प/न.प.उ/37/06-07 दिनांक 9.7.08 द्वारा भूतल पर फ्रंट में 1767 वर्ग फुट पर निर्मित दुकानों का आवासीय से वाणिज्यिक भू उपयोग परिवर्तन किया गया। मौके पर तलघर + भूतल + चार मंजिल भवन बना हुआ है। जिसमें पूर्व में दी गई स्वीकृति के अलावा दक्षिणी ओर 15 * 59 के भाग को भवन में शामिल मिला लिया गया। जिसकी स्वीकृति नहीं ली गई। मौके पर उत्तर तरफ सेट बेक में आंशिक विचलन किया गया एवं पूर्व स्वीकृति के अलावा थर्ड एंव फोर्थ फ्लोर का निर्माण भी बिना स्वीकृति के होना पाया गया जिसका प्रार्थी द्वारा नियमन करवाने हेतू प्रार्थना पत्र दिनांक 10.2.11 के तहत किये गये निर्माण को नियमन करवाने की प्रार्थना की गई जिस पर अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 24.2.11 में प्रकरण को रखा गया। जिस पर निर्णय लिया गया कि उक्त स्थल का मौका दिखाया जाकर प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे।</p>	<p>प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व स्वीकृति के विरुद्ध दक्षिणी भाग में निर्माण की शास्ती राशि लागत की 5 प्रतिशत एवं सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से ली जावे तथा थर्ड फ्लोर की संपूर्ण निर्माण की शास्ती यहां की वर्तमान आरक्षित दर (आस - पास की निकटतम कोलोनी सर्वऋतु विलास) से ली जावे तथा फोर्थ फ्लोर की संपूर्ण निर्माण की शास्ती की आरक्षित दर की दुगुनी दर से (उपरोक्त आरक्षित दर) वसूल होगी तथा पार्किंग की गणना की जाकर अतिरिक्त पार्किंग की प्रति ई सी यू के 50,000/- की दर से वसूल होगा। प्रकरण में नियमानुसार संयुक्तीकरण शुल्क वसूल होगा। प्रार्थी से उक्त स्थल के सम्बन्ध में न्यायालय में कोई स्थगन न हो इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे। भवन के उपयोग से पूर्व इस कार्यालय से अधिवास प्रमाण पत्र जारी करवाना अनिवार्य होगा। बेसमेंट पार्किंग क्षेत्र को नगर परिषद् के हक में समर्पित करना होगा।</p>

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 04.07.2011 की कार्यवाही का विवरण।

क्रम संख्या	फाईल नं.	प्राथी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
5.	भ.अ/173/09-10 22, शास्त्री नगर, खेमपुरा, उदयपुर	श्री दिनेश शर्मा पिता भरत कुमार गर्ग	प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित नक्शा प्रस्तुत कर भूतल में एडिशन आल्ड्रेशन कर प्रथम तल का निर्माण कराने बाबत स्वीकृति चाही गई। जिस पर भूतल में बने निर्माण की प्रार्थी द्वारा कोई स्वीकृति पत्र व नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया तथा मौके पर आनंद किट्स स्कूल की गतिविधियां चलना पाया गया। जिस पर स्पष्टीकरण चाहने पर प्रार्थी द्वारा मौके से उक्त स्थल की गतिविधियां बंद कर दी गई। मौके पर पुराने बने भवन के नियमन बाबत प्रकरण को अपराधों का शमन एवं समझौता समिति के समक्ष रखा जाना है।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि मौके पर बने पुराने भवन की शास्ती राशि लागत की 5 प्रतिशत एवं निकालु रचना की शास्ती राशि आरक्षित दर का 20 प्रतिशत की दर से वसूल करते हुए भूतल में किये गये निर्माण को नियमन किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त स्थल सम्बन्धित किसी वाद में स्थगन आदेश न हो इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे एवं नियमन की पूर्ण कार्यवाही होने के बाद प्रकरण को भवन निर्माण समिति में रखा जावे।
6.	भ.अ/148/09-10 939, हाथीपोल चेतक मार्ग, उदयपुर	श्रीमति रूपा देवी श्रीमती पति मोती लाल जी कच्छारा	पूर्व निर्णय दिनांक 3.12.10 द्वारा भूतल + तीन मंजिल का नियमन करने का निर्णय लिया। भू उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा भूतल का व्यवसायिक भू उपयोग परिवर्तन का अनुमोदन किया। इसी क्रम में राशि गणना जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि प्रार्थी द्वारा बेसमेंट का भी निर्माण कर रखा है। जिसके नियमन बाबत निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 3.12.2010 में लिये गये निर्णय के संदर्भ में अनुमोदन हेतु प्रकरण भू उपयोग परिवर्तन समिति में रख कर अनुमोदन किया गया जिसकी शर्त के बिंदु संख्या 2 के अनुसार जो बेसमेंट बिना स्वीकृति के बनाया उसकी शास्ती लागत की 7.5 प्रतिशत से ली जाकर नियमन करने का निर्णय लिया गया। बिंदु संख्या 1 के अनुसार प्रकरण अतिरिक्त भूमि का होने से प्रशासनिक समिति से निर्णय लिया जावे एवं पार्किंग की कमी का 50,000 रु प्रति ई सी यू से राशि वसूल होगी।

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 04.07.2011 की कार्यवाही का विवरण।

क्रम संख्या	फाइल नं.	प्राथी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
7.	भ.अ/140/08-09 प्लाट नं. 103-104 बापू बाजार, उदयपुर	श्री मदन लाल ताकडिया पिता श्री भंवर लाल ताकडिया	प्रार्थी द्वारा भूतल में दुकाने एवं प्रथम मंजिल पश्चिमी ओर हॉल व बरामदा बना हुआ है मे पूर्वी ओर के भाग में हॉल बनाना प्रस्तावित किया गया जबकि प्रार्थी द्वारा भूतल में बनी दुकानों के अलावा कोई भवन निर्माण स्वीकृति प्रार्थी द्वारा नहीं दी गई। स्पष्टीकरण पूछे जाने पर प्रार्थी द्वारा बिना स्वीकृति किये गये निर्माण का समझौता कराने बाबत प्रार्थना की गई व मौके के नक्शों भी प्रस्तुत किये गये। उक्त प्रकरण दिनांक 24.2.11 को अपराधों का शमन एवं समझौता समिति के तहत रखा गया जिसमें उक्त स्थल का मौका देखा जाकर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि ऐसी कोलोनीया जिसमें टाईप डिजाईन के विरुद्ध भी काफी निर्माण किये जाने से योजनाओं की स्थिति परिवर्तित हो गई है। जिसके लिए एक समता रखा जाना आवश्यक होने से सर्व प्रथम ऐसी योजनाओं का आउट सोर्सिंग से सर्वे कराकर टाईप डिजाईन में संशोधन बाबत प्रस्ताव बनाये जावे। इस हेतू निम्न योजनाओं को रखे जाने का निर्णय लिया गया जिसमें अश्विनी बाजार सारंग मार्ग, सेवाश्रम, माछला मगरा वाणिज्यिक योजना। उक्त कार्यवाही के पश्चात् पत्रावली निर्णय हेतू पुनः कमेटी में प्रस्तुत की जावे।
8.	भ.अ/215/08-09 16, उत्तरी सुंदरवास, उदयपुर	श्री लोकेश संचेती पिता स्व. मदन लाल जी संचेती एवं श्रीमति शांता संचेती पति लोकेश संचेती	प्रार्थी द्वारा मौके पर भूतल मे दुकान मेजनेन एवं प्रथम तल आवासीय भवन का निर्माण किया गया है। एवं पीछे की तरफ बंद निकासु भी बनाया गया है। प्रार्थी को नगर विकास प्रन्यास द्वारा शॉप कम प्लेट उपयोग हेतू भूखंड दिये गये थे। प्रार्थी ने पुरा भवन बिना स्वीकृति के बनाया गया है।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि दिनांक 3.12.2010 को लिये गये निर्णय को बहाल रखा जाता है।

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 04.07.2011 की कार्यवाही का विवरण।

क्रम संख्या	फाईल नं.	प्राथी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
9.	भ.अ/197/09-10 720, का भाग से नं. 11, उदयपुर	श्रीमति मोहिनी देवी पति श्री भगवती लाल जैन	प्राथी द्वारा उक्त स्थल पर भूतल + दो मंजिल आवासीय भवन निर्माण करना प्रस्तावित किया गया था। यहां के सेट बैक्स सामने 10'-0" व साईड में (पश्चिम में 10'-0") छोड़े जाने का प्रावधान है। मौक पर प्राथी द्वारा भवन अनुमति पूर्व ही फ्रंट सेट बेक में आशिक विचलन एवं साईड में बिना सेट बेक छोड़े भूतल + दो मंजिल का निर्माण कर लिया है जिसमें तलघर का भी निर्माण किया गया था। जिसको प्राथी द्वारा बंद कर दिया गया है तथा प्राथी द्वारा किये गये निर्माण को नियमन करवाने बाबत दिनांक 8.4.11 को प्रार्थना पत्र मय नक्शों प्रस्तुत किया है। जिस पर अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 24.2.11 को निर्णय लिया गया कि उक्त स्थल का मौका दिखाया जाकर प्रकरण को आगामी बैठक में रखी जावे।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि मौके पर भवन रेखा के मध्य किये गये निर्माण की शास्ती राशि लागत की 5 प्रतिशत से एवं सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से वसूल की जावे। बेसमेंट को न खोले एवं बेसमेंट का उपयोग भविष्य में भी न करने तथा उक्त स्थल बाबत न्यायालय में कोई वाद विचाराधिन न हो इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे।

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 04.07.2011 की कार्यवाही का विवरण।

क्रम संख्या	फाइल नं.	प्राथी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
10.	भ.अ/137/09-10 24, पिछोली मामा जी की हवेली के पास, उदयपुर	श्रीमति पुष्पा देवी धाबाई पति राधाकृष्ण धाबाई	मौका देखा मौके पर भूतल + दो मंजिल मय बंद निकासु के आवासीय भवन बना रखा है। प्राथी को पूर्व में भूतल + दो मंजिल मय खुला निकासु के दिनांक 9.2.10 को आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। प्राथी जो बंद निकासु बनाया गया उसे नियमन कराना चाहता है। जिस पर विधि अधिवक्ता से भी राय ली गई एवं विधि अधिवक्ता द्वारा निम्न राय दी गई। "प्राथी द्वारा विपक्षी के विरुद्ध स्टे का प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया हुआ है। जिसकी आगामी 12.10.2010 वास्ते जवाब दावा हेतू नियत है। न्यायालय द्वारा नगर परिषद् के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई स्टे नहीं है। इस कारण नगर परिषद् नियमानुसार नियमन करना चाहे तो कर सकती है। इसमें न्यायालय की कोई रोक नहीं है एवं पूर्व बैठक में उजरदार को भी सुना गया था।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में दर्ज आपत्ति को अस्वीकार करते हुए प्राथी ने जो पूर्व स्वीकृति के विरुद्ध निकासु को भवन में शामिल मिला रखा उसकी शास्ती आवासीय डी एल सी दर की 20 प्रतिशत से राशि वसूल करते हुए नियमन किया जाने का निर्णय लिया गया।
11.	भ.अ/238/09-10 प्लाट नं. 7, माछला मगरा स्कीम, उदयपुर	श्री अयूब खान पिता शमसुद्धीन जी	प्राथी द्वारा भूतल व मेजनाईन फ्लोर मय निकासु रचना के बने होने पर प्रथम एवं द्वितिय तल का निर्माण करना प्रस्तावित किया गया। प्राथी द्वारा उक्त स्थल की भवन निर्माण स्वीकृति प्रस्तुत नहीं की गई तथा उक्त भूखंड पर टाईप डिजाईन सिर्फ भूतल दुकान बनाने की है। तथा आगे की ओर 4'-6" हुड निर्माण का प्रावधान है। जबकि प्राथी द्वारा टाईप डिजाईन के विरुद्ध एवं बिना स्वीकृति निर्माण किया गया है।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि इस व्यवसायिक योजना का आऊट सोर्सिंग से सर्वे करवाया जाकर प्रकरण को बोर्ड बैठक में रखा जाकर प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे।

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 04.07.2011 की कार्यवाही का विवरण।

क्रम संख्या	फाइल नं.	प्राथी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
12.	भ.अ/38/11-12 प्लाट नं. 54, हिरण मगरी से नं. 5, उदयपुर	श्री शंकर लाल वर्मा पिता श्री गोकुल लाल वर्मा	प्रार्थी द्वारा बने भूतल पर प्रथम तल का निर्माण करना प्रस्तावित किया गया है। यहां पश्चिम एवं दक्षिण में 10'-0" - 10'-0" एवं उत्तर में 5'-0" छोड़ने का प्रावधान है। पूर्व स्वीकृति के विरुद्ध भूतल एवं प्रथम तल में सेट बेक में आंशिक विचलन होना पाया गया है।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व स्वीकृति के विरुद्ध सेट बेक में किये गये स्थायी निर्माण की शास्ती राशि आरक्षित दर से वसूल की जाकर प्रकरण को नियमन किया जाता है। भविष्य में सेट बेक में कोई निर्माण न करने एवं उक्त स्थल के सम्बन्ध में न्यायालय में कोई वाद विवाद विचाराधिन न हो इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे। नियमन किये जाने की पूर्ण कार्यवाही के पश्चात् प्रकरण को भवन निर्माण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।
13.	भ.अ/123/08-09 21, ए दैत्य मगरी, उदयपुर	डॉ दिनेश खत्री पिता श्री विशनदास खत्री	मौका देखा मौके पर प्रार्थी ने स्वीकृति के विरुद्ध सामने सेट बेक में सिढी पिल्लर बना रखे है एवं साईड सेट बेक में कार पोर्च बना रखा है। फ्रन्ट सेट बेक में जो सिढी बनी हुई है सिर्फ प्रथम तल तक ही जाती है एवं प्रथम तल में पोर्च के ऊपर भी कमरा बना रखा है।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी के प्रकरण पर पूर्व में समिति द्वारा दिनांक 24.2.2011 को नियमन करने का निर्णय लिया हुआ है। उसी निर्णय को बहाल रखा जाता है एवं दिनांक 24.2.2011 ` नियमन हेतु निर्णय के समय प्रभावी आरक्षित दर से ही राशि ली जावे।

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 04.07.2011 की कार्यवाही का विवरण।

क्रम संख्या	फाईल नं.	प्राथी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
14.	भ.अ/141/09-10 32, पंचवटी, उदयपुर	मसर्स जय श्री बिल्डर्स प्रा. लि. जरिये निदेशक लोकेश जैन,	मौका देखा मौके पर प्राथी ने बेसमेंट के कुछ हिस्से में पार्किंग बनाई गई एवं भूतल + चार मंजिल तक वाणिज्यिक भवन बनाया गया एवं फिफ्त फ्लोर पर एक चौकीदार रूम एवं टॉयलेट भी बना रखा है एवं सेट बेक में भी निर्माण किया गया एवं निकासु बंद बनाया गया। प्राथी को पूर्व में नियमानुसार सेट बेक छोड़ते हुए बेसमेंट पार्किंग भूतल + तीन मंजिल वाणिज्यिक भवन की स्वीकृति दी गई थी।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्राथी ने जो स्वीकृति के विरुद्ध सेट बेक में निर्माण किया/निकासु बंद बनाया एवं अतिरिक्त फोर्थ फ्लोर एवं फिफ्त फ्लोर पर चौकीदार का कमरा एवं टॉयलेट का निर्माण किया गया जिसकी शास्ती वाणिज्यिक आरक्षित दर से ली जावे। एवं पार्किंग की कमी का 50,000/- रुपये प्रति ई सी यू से राशि वसूल करते हुए नियमन किया जावे। भवन को उपयोग करने से पूर्व इस कार्यालय से अधिवास प्रमाण पत्र जारी करवाना अनिवार्य होगा।
15.	भ.अ/141/10-11 प्लाट नं. 177, सेक्टर 4, हिरण मगरी, उदयपुर	श्री रमेश चन्द्र द्विवेदी पिता शिव लाल द्विवेदी	प्राथी द्वारा बने भूतल पर प्रथम तल के निर्माण करना प्रस्तावित किया गया है। जिस पर भवन निर्माण समिति द्वारा मौका देखा जाकर पूर्व भवन निर्माण स्वीकृति के विरुद्ध किये गये निर्माण को हटा फोटो प्रस्तुत किये जाने के उपरांत प्रथम तल के निर्माण की स्वीकृति दिये जाने का निर्णय लिया गया। जिस पर प्राथी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सेट बेक एवं आंशिक तलघर निर्माण किया गया। उसको नियमन कराने की प्रार्थना की गई।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि तलघर आंशिक किये गये निर्माण की शास्ती लागत की 5 प्रतिशत एवं सेट बेक में किये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से वसूल की जाकर नियमन किये जाने का निर्णय लिया गया। प्राथी से उक्त स्थल के सम्बन्ध में न्यायालय में कोई वाद विचाराधिन न हो इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे।

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 04.07.2011 की कार्यवाही का विवरण।

क्रम संख्या	फाईल नं.	प्राथी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
16.	भ.अ/7/09-10 4, सी मधुबन, उदयपुर	शर्मा मामों एसोसियेट प्रा. लि. डायरेक्टर विजय कुमार शर्मा	प्राथी को पूर्व में नगर परिषद द्वारा दिनांक 5.5.2008 को बेसमेंट पार्किंग एवं भूतल + चार मंजिल वाणिज्यिक भवन की स्वीकृति ली गई थी। प्राथी ने स्वीकृति के विरुद्ध सेट बेक में निकासु एवं एक अतिरिक्त मंजिल का निर्माण किया गया। जिसको नियमन कराने हेतू पत्रावली लगाई गई। जिस पर प्राथी के प्रकरण को दिनांक 24.7.2009 को भवन अनुमति समिति की बैठक में प्रकरण रखा गया एवं समिति द्वारा नियमन करने का निर्णय लिया एवं प्रशासनिक समिति में अनुमोदन करवाने हेतू लिखा गया। जिस पर प्राथी की नियमन राशि 84,25,800/- रूपये का नोटिस दिया गया एवं प्राथी ने उक्त राशि दिनांक 22.10.09 को जमा करा दी गई है व अपराधो का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 8.6.10 में रखी गई जिस पर निर्णय लिया गया था कि समिति के सदस्यों को मौका दिखाकर आगामी बैठक में पत्रावली रखी जावे।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्राथी सेट बेक के सामने की तरफ किसी तरह की बाउण्ड्रीवाल नहीं बनावें जिससे पार्किंग की जा सके भवन को उपयोग में लेने से पूर्व अधिवास प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा एवं दिनांक 24.7.2009 को भवन अनुमति समिति की बैठक में लिये गये निर्णय का अनुमोदन कर नियमन करने का निर्णय लिया जाता है।

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 04.07.2011 की कार्यवाही का विवरण।

क्रम संख्या	फाईल नं.	प्राथी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
17.	भ.अ/29/09-10 147, जगदीश चौक, उदयपुर	श्री चन्द्र नारायण वशिष्ठ पिता करणी नारायण वशिष्ठ	<p>प्राथी द्वारा प्रस्तावित नक्शों में पुराने बने भवन जिसमें आगे की तरफ दुकाने व पीछे कमरें दर्शा रखे हैं गिराकर भूतल + दो मंजिल भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु नक्शा प्रस्तुत किया गया। जिस पर स्वीकृति पूर्व प्राथी द्वारा भूतल में आर सी सी पिल्लर लगा सडक की ओर दो बड़े बड़े शटर लगा दिये हैं। जिस पर भवन अनुमति समिति द्वारा दिनांक 25.6.09 के तहत किये गये निर्माण की शास्ती राशि 7.5 से वसूल करते हुए एवं पश्चिम सडक की ओर कोई निकासु रचना न बनाते हुए भूतल + दो मंजिल भवन निर्माण की स्वीकृति दी जाने की अनुशंसा की गई। जिस पर प्राथी द्वारा भूतल में बने निर्माण की शास्ती राशि परिषद् कोष में जमा करा दी गई। इस दरमयान प्राथी द्वारा पश्चिमी सडक की ओर निकासु रचना भी बना ली। जिस पर अपराधों का शमन एवं समझौता समिति द्वारा दिनांक 8.6.10 को मौका देखा जाकर निर्णय लिया गया कि भवन अनुमति द्वारा आवासीय नियमन का निर्णय लिया गया था। किंतु मौके पर दुकाने बना रखी है। इसके लिए दुकानों को हटा फोटो प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। जिस पर पुनः अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक 3.12.2010 को लिये गये निर्णय के तहत प्राथी को भूतल में दुकानों का डी एल सी रेट की 20 प्रतिशत की दर से राशि वसूल कर निकासु रचना जिसका निर्माण किया गया निकासु रचना की शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से वसूल की जाकर एवं शुल्क भी वसूल किया जावे। प्राथी से प्रथम एवं द्वितिय तल आवासीय बाबत शपथ पत्र लेते हुए नियमन किये जाने का निर्णय लिया गया था।</p>	<p>प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि भवन अनुमति समिति द्वारा लिये गये निर्णय दिनांक 25.6.09 का अनुमोदन करते हुए बनें निकासु को हटाकर फोटो प्रस्तुत करे व भविष्य में कोई निकासु रचना न बनावे। पूर्व में दी गई दुकानों के बराबर क्षेत्रफल में ही वाणिज्यिक उपयोग किया जायें। बकाया पीछे के क्षेत्रफल एवं ऊपर सभी मंजिले आवासीय ही उपयोग में लेवेंगे। इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे।</p>

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 04.07.2011 की कार्यवाही का विवरण।

क्रम संख्या	फाइल नं.	प्राथी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
18.	भ.अ/70/10-11 प्लॉट नं. 1103, हिरण मगरी, सेक्टर नं. 4, उदयपुर	डॉ संचिता दशोरा पति श्रीर सुनील उपाध्याय	प्राथी द्वारा स्वयं के क्षेत्र में भूतल + दो मंजिल आवासीय भवन निर्माण करने हेतू प्रार्थना पत्र मय नक्शे प्रस्तुत किये जिस पर भवन निर्माण अनुमती समिति द्वारा दिनांक 17.8.10 के तहत सेट बेक सामने से 25'-0" साईड व पीछे 10'-0" - 10'-0" छोड़ते हुए भूतल + दो मंजिल आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति दिये जाने का निर्णय लिया गया। जिसमें प्रथम चरण में भूतल + प्रथम तल की स्वीकृति ही जारी किये जाने का निर्णय लिये जाकर व सही पाये जाने पर द्वितीय चरण सैक्ण्ड फ्लोर निर्धारित सेट बेक छोड़ते हुए जारी की जावे। जिस पर प्राथी द्वारा तलघर, भूतल + प्रथम तल का निर्माण आर सी सी पिल्लर व छत द्वारा बनाया गया। जिसमें सेट बेक 25 के बजाय 21'-0" फीट ही छोड़ा गया तथा सेट बेक में ऊपर की मंजिलो में निकासु रचना बनाई गई जो कि स्वीकृति में नहीं दी गई थी। निर्माण तलघर अतिरिक्त बनाया तथा फ्रन्ट सेट बेक में आशिक विचलन करते हुए ऊपर की ओर सेट बेक में आगे व साईड में निकासु बनाया गया। जिसका प्राथी द्वारा नियमन किये जाकर द्वितीय चरण की स्वीकृति चाही गई। यहां यह भी बतलाया गया कि पीछे के पडोसी द्वारा न्यायलाय में वाद होना बतलाया गया। जबकि पीछे की ओर स्वीकृति अनुसार ही सेट बेक छोड़ा गया तथा ऊपर कोई निकासु रचना भी नहीं बनाई गई।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि तलघर की शास्ती राशि लागत की 5 प्रतिशत सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती राशि आरक्षित दर से लिये जाकर प्रकरण का नियमन किये जाने का निर्णय किया गया। तलघर में पार्किंग का आवागमन एवं पार्किंग उपयोग हेतू तकनीकी सर्टिफिकेट लिया जावे। प्राथी से इस आशय का शपथ पत्र भी लिया जावे कि तलघर पार्किंग के ही उपयोग में लिया जावेगा तथा जिसका सरेण्डर नगर परिषद् कौ किया जाना होगा। सेट बेक में किये गये निकासु को खुला ही रखेंगे। बंद गोखडा नहीं बनावेगें एवं न्यायालय में उक्त स्थल सम्बन्धित कोई वाद नहीं चल रहा है आदि के शपथ पत्र लिये जावे। प्राथी ने मौखिक रूप से अवगत कराया कि हमारा समझौता हो चुका है। ऐसी स्थिति में प्राथी को हिदायत दी कि उक्त विवाद का समझौता का लिखित रूप में दोनो पक्षों के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत किये जाने पर उक्त निर्णय की पालना की जावे।

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 04.07.2011 की कार्यवाही का विवरण।

क्रम संख्या	फाइल नं.	प्राथी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
19.	भ.अ/203/09-10 170, भोपालपुरा, उदयपुर	श्रीमति नलिनि रंजन सिंह लोढा पिता श्री सुमित्र सिंह लोढा	मौका देखा मौके पर प्रार्थी ने भूतल में कुछ भाग को मौजूदा रखते हुए सेट बेक में निर्माण किया गया एवं प्रार्थी ने प्रथम एवं द्वितीय तल में भी सेट बेक को शामिल करते हुए नया निर्माण किया गया है एवं तृतीय तल पर आंशिक भाग में निर्माण किया गया। प्रार्थी से मौका स्थिति के भी नक्शें मांगे गये है।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने जो सेट बेक में निर्माण किया एवं तृतीय तल में जो बिना स्वीकृति के निर्माण किया उसकी शास्ती आरक्षित दर से ली जावे एवं भूतल में बने भवन को छोडकर बाकी क्षेत्र एवं प्रथम व द्वितीय तल जो सेट बेक छोडकर जो निर्माण किया उसकी शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से लेते हुए किये गये निर्माण को नियमन किया जाता है। प्रार्थी से मौका स्थिति के नक्शें भी लिये जावे।

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 04.07.2011 की कार्यवाही का विवरण।

क्रम संख्या	फाइल नं.	प्राथी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
20.	भ.अ/81/09-10 1084, हिरण मगरी, से नं. 4, उदयपुर	श्री संदीप डागरिया पति श्री सुमति लाल डागरिया	<p>प्रार्थी द्वारा उक्त स्थल पर भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित नक्शों प्रस्तुत किये गये जिसमें सामने से 10'-0" पश्चिम से 10'-0" एवं पीछे 5'-0" छोड़ते हुए भूतल + प्रथम तल आवासीय भवन निर्माण करना चाहा। किंतु प्रार्थी द्वारा बिना स्वीकृति मौके पर भूतल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल भाग का निर्माण कर लिया जिसमें सामने सेट बेक 10'-0" के बजाय 7'-3" फीट छोडा साईड में 10'-0" के बजाय 3'-0" व पीछे के भाग 0'-0" सेट बेक छोडा तथा पीछे की ओर 5'-0" सेट बेक के बजाय 4'-0" तथा दोनो कार्नर पर 0'-0" सेट बेक में निर्माण किया पाया गया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 13.4.10 को प्रार्थना पत्र मय मौके के नक्शों प्रस्तुत कर किये गये अवैध निर्माण को नियमन कराने की प्रार्थना की जिस पर दिनांक 3.12.10 को अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में प्रकरण प्रस्तुत किया गया। जिसमें निर्णय लिया गया कि उक्त स्थल का भवन रेखा के बाबत सर्वे किया जाकर एवं प्रार्थी को व्यक्तिशः सुनवाई का अवसर देते हुए आगामी बैठक में प्रकरण रखा जावे। जिस पर सर्वे किया गया व नक्शों पत्रावली में संलग्न किये गये एवं उक्त समिति में पुनः 24.2.11 को प्रकरण रखा गया। जिस पर निर्णय लिया गया कि समिति को मौका दिखाया जाकर पत्रावली आगामी बैठक में रखी जावे एवं उजरदारी आमंत्रित की जावे। जिस पर सतर्कता/डीवीसी/01/2011 श्री वाचस्पित शर्मा द्वारा सेट बेक बाबत उजरदारी प्रस्तुत की जिस पर परिषद् द्वारा की गई रिपोर्ट में प्रकरण परिषद् की समझौता समिति में विचाराधिन है। बैठक में जो भी निर्णय लिया जावेगा। उससे अवगत करा दिया जावेगा। जिस पर "सतर्कता अध्यक्ष महोदय ने प्रकरण को अतिक्रमण प्रकोष्ठ कार्यालय हाजा में स्थानान्तरित करने एवं प्रगति रिपोर्ट मंगवाये जाने के निर्देश दिये गये। प्रकरण को पेन्डिंग रखा गया "</p>	<p>प्रकरण समिति के समक्ष रखा गया पडोसी शर्मा जी को सुना गया सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि दोनो पक्षों को सुना जाना आवश्यक होने से प्रकरण को लंबित रखा जाकर आगामी बैठक में दोनो पक्षों को बुलाया जाकर सुना जाने का निर्णय लिया गया। प्रार्थी को सूचित किया जावे।</p>

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 04.07.2011 की कार्यवाही का विवरण।

क्रम संख्या	फाइल नं.	प्राथी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
21.	भ.अ/231/07-08 प्लाट नं. 137 का भाग, सर्वरुतु विलास, उदियापोल रोड, उदयपुर	श्री रामचन्द्र अग्रवाल एवं सुमित्रा देवी अग्रवाल	प्रार्थी द्वारा उक्त स्थल पर पूर्व में दी गई स्वीकृति संख्या भ.अ/21/07-08 दिनांक 23.10.08 को दी गई स्वीकृति भूतल + तीन मंजिल आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई। प्रार्थी द्वारा मौके पर तलघर भूतल + चार मंजिल भवन मय निकासु रचना के बना लिया है। जिसमें तलघर बिना स्वीकृति के एवं भूतल में आगे का भाग तथा पीछे तीकोने भाग का अनाधिकृत निर्माण किया गया। प्रथम द्वितीय एव तृतीय तल में भी पीछे की ओर तिकानो भाग अनाधिकृत बनाया भवन में शामिल किया गया चतुर्थ तल पूर्ण अनाधिकृत निर्माण होना पाया गया। जिस पर प्रार्थी द्वारा 9.5.11 को प्रार्थना पत्र मय नक्शा प्रस्तुत कर किये गये अनाधिकृत निर्माण का नियमन कराने की प्रार्थना की है।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि तलघर भूतल पर आगे की ओर पीछे तिकाने भाग (भूतल + तीन मंजिल) की शास्ती राशि लागत की 5 प्रतिशत एवं चतुर्थ तल व उत्तरी रास्ते की ओर बनाये निकासु की शास्ती राशि यहां की आरक्षित दर से ली जाकर प्रकरण का नियमन किया जाता है। तलघर, पार्किंग स्थल को नगर परिषद् उदयपुर को समर्पित करना होगा एव तलघर पार्किंग के रूप में ही उपयोग में लेंगे इसका शपथ पत्र भी लिया जावे।
22.	भ.अ/183/08-09 25 ए - सी न्यू फतेहपुरा उदयपुर	श्री अब्बास अली पिता सैफूद्दीन	मौका देखा मौके पर प्रार्थी ने बेसमेंट स्टील्ड, पार्किंग का निर्माण किया गया ग्राउण्ड फ्लोर में पुरे क्षेत्र में हॉल बना रखा है एवं फस्ट, सेकण्ड, थर्ड,, फोर्थ एवं फिफ्त फ्लोर में आवासीय फ्लेट्स बना रखे है एवं सेट बेक में भी निर्माण कर रखा है। पुरा भवन बिना स्वीकृति के बनाया गया है।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी से वर्तमान मौका स्थिति के नक्शें मांगे जावे एवं पार्किंग एफ एस आई आदि की गणना कर आगामी बैठक में पत्रावली रखी जावे।

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 04.07.2011 की कार्यवाही का विवरण।

क्रम संख्या	फाइल नं.	प्राथी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
23.	भ.अ/61/09-10 1, 1 ई, 1 एफ, अशोक नगर, उदयपुर	श्री राजेन्द्र कुमार, प्रभु लाल, मोहन लाल, दाखी बाई कुम्हार	प्रार्थी को दिनांक 5.8.2008 को भूखंड संख्या 1, 1 ई, 1 एफ पर अलग - अलग स्वीकृतियां जारी की गई थी। प्रार्थी ने स्वीकृति के विरुद्ध सेट बेक में निर्माण किया एवं तीनों भूखंडों को शामिल मिला लिया गया जिस पर प्रार्थी ने नियमन हेतु पत्रावली लगाई गई जिस पर प्रार्थी के प्रकरण को भवन अनुमति समिति की बैठक दिनांक 24.7.09 में रखा गया एवं समिति द्वारा नियमन करने का निर्णय लिया गया एवं प्रशासनिक समिति में अनुमोदन हेतु लिखा गया एवं प्रार्थी को 22,26,262/- रुपये का नोटिस भी दिया गया परंतु प्रार्थी के पड़ोसी श्री भोला राम की बार बार उजरदारी प्रस्तुत हो रही है।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी एवं उजरदार को आगामी बैठक में सुनवाई हेतु बुलाया जावे।
24.	भ.अ/62/09-10 26, मेहता जी की बाडी, उदयपुर	श्रीमति लता चावत पति दिनेश चावत	प्रार्थी को परिषद् द्वारा भ.अ/62/2009-10 के तहत भूतल + दो मंजिल आवासीय भवन जिसमें सामने से 10'-0" साईड में 10'-0" (तरमीन 5'-0") पीछे 5'-0" सेट बेक्स छोडते हुए भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। जिस पर प्रार्थी द्वारा तलघर भूतल + दो मंजिल जिसमें सामने से 10'-0' साईड में 4'-0" एवं पीछे कुछ भाग में 1'-11" इंच छोडते हुए भूतल + दो मंजिल भवन स्ट्रक्चर बना लिया जिस पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 28.9.10 को दिये प्रार्थना पत्र मय नक्शें प्रकरण को नियमन कराने की प्रार्थना की जिस पर अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 3.12.10 को प्रकरण रखा गया। जिस पर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि सेट बेक में आंशिक निर्माण कराया गया है। जिस पर न्यायालय से मार्गदर्शन चाहा गया था। जिस पर न्यायालय से कोई मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ। जिस पर पुनः 15.2.11 को समिति द्वारा न्यायालय में वाद विचाराधिन होने के कारण नियमन की अनुशंसा करते हुए न्यायालय से स्वीकृति लेकर कार्यवाही पूर्ण की जावे। सेट बेक में नियमन किये गये क्षेत्र पर भविष्य में किसी भी प्रकार का निर्माण न करने का निर्णय लिया गया।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण में सेट बेक में किये गये निर्माण 50 प्रतिशत से कम होने से नियमन का अधिकार उक्त समिति को होने से भवन रेखा के मध्य किये गये निर्माण की शास्ती राशि 5 प्रतिशत से एवं सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती राशि आरक्षित दर (यंहा की न होने पर पास के क्षेत्र सर्व ऋतु विलास की आवासीय आरक्षित दर से वसूल की जावे) उक्त नियमन बाबत कोर्ट को सूचित किया जावे एवं बाद मयाद 15 दिन के उक्त निर्णय की पालना की जावे।

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 04.07.2011 की कार्यवाही का विवरण।

क्रम संख्या	फाईल नं.	प्राथी का नाम	विवरण	समिति निर्णय
25.	भ.अ/342/06-07 32/1105, गुलाब भवन बी एन कालेज के सामने उदयपुर	श्री राजेन्द्र कुमार डागा पिता स्व. दलपत सिंह जी सुरेन्द्र कुमार पिता दलपत सिंह जी श्रीमति सुशीला देवी पति दलपत सिंह जी सरूपरिया	मौका देखा मौके पर बेसमेंट में पार्किंग बनाई गई एवं भूतल + चार मंजिल तक वाणिज्यिक भवन बनाया गया एवं स्वीकृति के विरुद्ध सेट बेक में निकासु बंद बनाया गया एवं थर्ड फ्लोर एवं फोर्थ फ्लोर के पीछे के भाग में निर्माण किया गया। प्राथी को पूर्व में नगर परिषद् द्वारा नियमानुसार सेट बेक छोड़ते हुए दिनांक 24.4.2006 को बेसमेंट पार्किंग, भूतल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल वाणिज्यिक भवन व तृतीय एवं चतुर्थ तल आधे आधे भाग में वाणिज्यिक स्वीकृति दी गई थी।	प्रकरण समिती के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिती द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियो कर्मचारियो से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्राथी के प्रकरण पर एफ ए आर पार्किंग आदि की गणना करते हुए आगामी बैठक में प्रकरण रखा जावे।
26.	भ.अ/126/08-09 पंचशील मार्केट मेन रोड, हिरण मगरी से नं. 5, उदयपुर	रिद्धि सिद्धि बिल्डर्स पार्टनर श्री फूलचन्द्र पोखरना,	प्राथी द्वारा यू आई टी से प्राप्त की भवन निर्माण स्वीकृति तलघर, भूतल + प्रथम एवं द्वितीय तल वाणिज्यिक भवन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त कर जिसमें बिना सेट बेक छोड़े भवन निर्माण की स्वीकृति लेकर निर्माण करवाया। जिसमें किसी प्रकार का निकासु रचना की स्वीकृति नहीं दी गई थी। प्राथी द्वारा प्रस्तावित नक्शा प्रस्तुत कर थर्ड, फार्थ एवं फिफ्त फ्लोर के निर्माण स्वीकृति हेतु नक्शा प्रस्तावित किया गया। मौके पर तलघर भूतल + चार मंजिल वाणिज्यिक भवन का निर्माण होना पाया। जिसमें चारों ओर निकासु रचना भी बनाई।	प्रकरण समिति के समक्ष रखा गया एवं समिति द्वारा सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण आगामी बैडक में रखा जावै।

उक्त प्रकरणों में मांग की जाने वाली नियमन राशि इस कार्यालय द्वारा मांग पत्र जारी होने के 1 माह में अनिवार्यतः जमा करानी होगी। अन्यथा प्रकरण निरस्त योग्य होंगे। नियत समयावधि में राशि जमा नहीं कराने वाले प्रकरणों को निर्णयार्थ आगामी समझौता समिति में रखा जावेगा।

आयुक्त
नगर परिषद, उदयपुर

अध्यक्ष
अपराधो का शमन एवं समझौता समिति

क्रमांक:- नपउ/भ.वि/11-12/
प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

दिनांक:-

1. श्रीमान् निदेशक महोदय, स्थानीय निकाय विभाग , राज. जयपुर ।

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 04.07.2011 की कार्यवाही का विवरण।

2. श्रीमान् उप निदेशक महोदय, (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग , राज. उदयपुर ।
3. श्रीमान् जिला कलक्टर, उदयपुर।
4. श्रीमान् सभापति /समिति अध्यक्ष महोदय, नगर परिषद्, उदयपुर।
5. श्री /श्रीमति.....समिति सदस्य।
6. सचिव नगर परिषद्, उदयपुर।
7. उप नगर नियोजक, नगर परिषद्, उदयपुर।
8.शाखा प्रभारी।
9. निजी सहायक आयुक्त नगर परिषद्, उदयपुर।

आयुक्त
नगर परिषद्, उदयपुर